2018 का विधेयक संख्यांक 195

[दि जेंडर सेंसिटाइजेशन (ट्रेनिंग एण्ड एजुकेशन) बिल, 2018 का हिन्दी रूपान्तर]

श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य

का

लैंगिक संवेदीकरण (प्रशिक्षण एवं शिक्षा) विधेयक, 2018

व्यक्तित्व विकास के एक भाग के रूप में, विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में अनिवार्य रूप से लैंगिक संवेदीकरण शिक्षा प्रदान करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लैंगिक संवेदीकरण (प्रशिक्षण एवं शिक्षा) अधिनियम, 2018 है।

(*2*) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''समुचित सरकार'' से किसी राज्य के मामले में, उस राज्य सरकार तथा अन्य सभी मामलों में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ख) ''विद्यालय'' से, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कोई प्राथमिक या मिडिल अथवा माध्यमिक अथवा उच्चतर माध्यमिक स्तरीय विद्यालय जो बच्चों को शिक्षा प्रदान करता हो, अभिप्र है; और

(ग) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

लैंगिक संवेदीकरण का अनिवार्य शिक्षण।

3. समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विद्यालय प्रबंधन समितियों के साथ मिलकर विद्यालयों में लैंगिक संवेदीकरण शिक्षा के प्रदतीकरण तथा कार्यशालाओं की स्थापना हेतु प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र में प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना उस ढंग से करेगी, जैसा कि विहित किया जाए।

लैंगिक संवेदीकरण केद्रों के कार्य।

4. धारा 3 के अधीन स्थापित प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र निर्मित एवं सुनिश्चित करेगा:—

(*क*) लैंगिक संवेदीकरण पर आधारित कस्टम विकसित कार्यक्रम, जिसमें अध्ययन पाठ्यक्रम के एक अनिवार्य भाग के रूप में कहानी सुनाना और प्रयोगात्मक शिक्षा जैसी कार्य पद्धतियां शामिल हैं;

(*ख*) लैंगिक संवेदनशीलता संबंधी उपयुक्त मुद्दों पर, प्रति विद्यालय कम से कम दो मनोवैज्ञानिकों और बाल-परामर्शदाताओं को लेकर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम; और

(*ग*) अपने-अपने विद्यालयों में उक्त कार्यशालाओं और शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु शिक्षकों द्वारा अपेक्षित आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता।

केन्द्रीय सरकार निधियां उपलब्ध करायेगी।

5. केन्द्रीय सरकार, संसद द्वारा इस संबंध में समुचित विनियोग किये जाने के पश्चात्, इस अधिनियम के प्रयोजनों के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकारों को पर्याप्त निधियां प्रदान करेगी।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव।

6. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात से असंगत होते हुए भी प्रभावी होंगे।

अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना।

7. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के किसी उपबंध के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।

नियम बनाने की शक्ति।

8. (*1*) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(*2*) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद की प्रत्येक सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र अथवा आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व दोनों सभा उस नियम में कोई परिवर्तन अथवा उसे बातिल करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् यथास्थिति वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा अथवा निष्प्रभावी होगा, किन्तु उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हम कई दशकों से विद्यालयों में बालिकाओं के दाखिले को लेकर कार्य करते रहे हैं। बालिकाओं की सामाजिक स्वतंत्रता और कल्याण सुनिश्चित करने हेतु निरंतर जारी हमारे प्रयासों में एक और प्रयास यह भी हो सकता है कि प्राथमिक विद्यालयों में और अधिक लैंगिक संवेदनशील और लैंगिक समानता युक्त वातावरण बनाया जाए।

व्यक्तित्व निर्माण और कौशल विकास के एक भाग के रूप में, चूंकि एक बच्चे का प्रथम बाह्य अनुभव अपने विद्यालय में होता है, अत: इस कारण से लैंगिक संवेदीकरण शिक्षाओं तथा कार्यशालाओं को अध्ययन-पाठ्यक्रम का अनिवार्य भाग बनाया जाना चाहिए। कहानी सुनाना और प्रयोगात्मक शिक्षा दो ऐसे प्रभावशाली और रोचक माध्यम हैं, जिनके द्वारा युवाओं को वांछित परिणामों की प्राप्ति हेतु प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है और इसमें बच्चों को सार्थक ढंग से शामिल किया जा सकता है। यदि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में सरलतम एवं सबसे आसानी से समझे जा सकने वाले माध्यमों के रूप में कस्टम विकसित कार्यक्रम को लैंगिक संवेदीकरण के लिए बनाया जाता है, तो बच्चों द्वारा बाल्यावस्था में सामना की जाने वाली लैंगिक संवेदनशीलता तथा पहचान संबंधी जटिलताओं को प्रभावी ढंग से सुलझाया जा सकता है।

यदि स्थानीय निकायों द्वारा केन्द्रीय सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर शिक्षकों और संरक्षकों की निष्पक्ष भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, तो यह प्रयास भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधारात्मक आकार ग्रहण करेगा, जिसकी हमारे देश के भविष्य द्वारा एक लम्बे समय से प्रतीक्षा को जा रही है।

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली;

27 *नवम्बर,* 2018

सुप्रिया सुले

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 3 विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों और किशोर विद्यार्थियों को लैंगिक संवेदनशील शिक्षाएं प्रदान करने हेतु शिक्षकों को सामर्थ्यवान बनाने के लिए प्रत्येक राज्य में प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना किए जाने का उपबंध करता है। खण्ड 5 में केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तपोषण किये जाने का उपबंध किया गया है। अत: इस विधेयक के अधिनियमित हो जाने पर भारत की संचित निधि में से व्यय किया जाएगा। इस पर प्रति वर्ष एक सौ करोड़ रुपए का आवर्ती व्यय होने का अनुमान है।

इस पर पचास करोड़ रुपए का अनावर्ती व्यय होने की भी संभावना है।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 8 में केन्द्रीय सरकार को इस विधेयक के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। चूंकि ये नियम केवल ब्यौरे से संबंधित होंगे, इसलिए विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकार का है।

लोक सभा

व्यक्तित्व विकास के एक भाग के रूप में, विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में अनिवार्य रूप से लैंगिक संवेदीकरण शिक्षा प्रदान करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

(श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य)

MGIPMRND—2632LS(S3)—24-12-2018.